[Shri S. N. Mishra]

pointed out by my friend, Shri Mohan Lal Gautam, commences after the declaration of the result or after taking the oath—also the Notification. So there are three aspects of it. The attributes of membership and the rights and obligations of membership commence only after taking the oath. You will therefore have to go into this matter with much greater care.

MR. CHAIRMAN : You should not tell me all these things.

SHRI S. N. MISHRA : Sir, I am only presumptuous enough to say it to you because sometimes I find that there is flexibility shown which is misplaced.

MR. CHAIRMAN : All right.

SHRI BAHARUL ISLAM (Assam) : Sir, a Member can participate in the activities of the House only after he takes the oath. Otherwise he cannot participate. Therefore Mr. Bhupesh Gupta's Calling Attention Notice was not admitted by the Chairman, because its admission would mean that he would participate in the activities of the House. But he has not yet taken his oath and membership will continue from midnight only....

MR. CHAIRMAN : Now you are repeating the same thing. Please sit down.

श्री सूरज प्रसाद : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि जो कालिंग अटेंशन मंजूर किया गया उसमें मेरा नाम पहले था, इसलिये मेरा नाम पहले होना चाहिये ।

श्री सभापति : इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है । मुझे अख्तियार है कि किसका नाम पहले आये, जिसको चाहूं पहले बुला लूं ।

MEMBER SWORN

Shrimati Maragatham Chandrasekhar (Nominated).

श्री गोडे मुराहरि (उत्तर प्रदेश): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कालिंग अटेंशन के लिये बुला लिया था । उसके बाद ओथ लेने का क्या सवाल होता है ।

श्री सभापति : मुझे मालूम हुआ कि एक मेम्बर और बाकी रह गई थीं । मैंने उनको भी ओथ लेने के लिये बुला लिया । अब कालिंग अटेंशन ले रहा हूं ।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED CONFRONTATION BETWEEN THE ARMED POLICE FORCES OF UTTAR PRADESH AND BIHAR IN UMARPUR DIARA ON THE U. P. BIHAR BORDER.

श्री गनेशी लाल चौधरी (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा पर उमरपुर दियारा में उत्तर प्रदेश और बिहार की सशस्त्र पुलिस के बीच सामना होने के समाचार और विवाद-ग्रस्त रबी की फसल को काटने के सम्बन्ध में उस क्षेत्र के बटाईदारों की जान-माल के लिये खतरे की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : इस समय गंगा नदी की गहरी धारा उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले तथा बिहार के शाहाबाद ज़िले के बीच की सीमा है । इस क्षेत्र में नदी का बहाव वर्ष-प्रति-वर्ष बदलता रहता है जिसके परिणामस्वरूप नदी की गहरी धारा भी समय-समय पर बदलती रहती है । वर्षा ऋतु के पश्चात् जब नदी का पानी कम हो जाता है, तो कुछ स्थानों पर वह एक से अधिक धाराओं में बहने लगता है और यदि वहां यह संदेह उत्पन्न हो जाये कि उनमें कौन-सी गहरी धारा मानी जाये, तो दोनों राज्यों के अधिकारियों को संबंधित नियमों के अनुसार जांच करनी पड़ती है ।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार गहरी धारा के वास्तविक स्थान के बारे में कुछ संदेह उत्पन्न हो गये थे; क्योंकि गत वर्षा ऋतु के बाद नदी के बहाव के साथ-साथ कुछेक स्थानों पर यह धारा बह निकली थी । दोनों राज्य सरकारों ने संबंधित आयुक्तों को इस गहरी धारा को निश्चित करने हेतु शीघ्र आपस में बैठक करने के लिये कहा है । इस कार्य को शीघ्र कराने तथा इस क्षेत्र में फसल के कटाई से

पहले ही कराने की आवश्यकता के लिये राज्य सरकारों से ज़ोर देकर कहा गया था। बिहार के मुख्य मंत्री ने 28 मार्च, 1970 को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को यह सुझाव देते हुए एक पत्र भेजा है कि दोनों राज्यों की पुलिस के बीच संघर्ष को दूर करने के उपाय किये जायें तथा विवादास्पद क्षेत्रों में सभी पुराने मामलों पर मैत्रीपूर्ण समझौता किया जाना चाहिये।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश): दोनों राज्यों को मिला कर एक बना दो।

श्री गनेशी लाल चौधरी : क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह विवादग्रस्त भूमि कितनी है, इस विवादग्रस्त भूमि, जिसमें जान और माल का ख़तरा हर वक्त किसानों में बना रहता है, का कब तक निपटारा कर दिया जायेगा। दूसरे, यह तो झगड़ा हो रहा है तो किन लोगों की यह ज़मीन है? किसानों और ज़मींदारों के बीच का झगड़ा है या हरिजनों और नान-हरिजनों के बीच का झगड़ा है? यह सारा ब्यौरा माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, यह मामला नदी की धारा बदलने से ऊपर आता रहता है। हर साल उस धारा का क्षेत्रफल बदलता रहता है, किसी साल यह दायरा ज़्यादा होता है किसी साल कम होता है। तो इस साल उस दायरे का कितना क्षेत्रफल, है यह मुझे नहीं मालूम।

दूसरा जो सवाल आपने पूछा इसके निपटारे की बात, वह तो संसद के द्वारा कर दिया गया और जैसा आप जानते है यह बहुत पुराना मसला है, इसके ऊपर त्रिवेदी आयोग स्थापित किया गया था, पं० जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और उस त्रिवेदी आयोग ने अपनी सिफारिशें कीं कि उन सिफारिशें को मंज़ूर करें। इस माननीय सदन ने एक विधेयक पारित किया, वह विधेयक जो पारित किया गया उसके अंतर्गत इसका समझौता कर दिया गया कि जहां-जहां खम्भे गाड़ने हों सीमा के अंकन के लिये वहां यह कर दिया जाये। वह कार्य हो गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश जहां खम्भे बांधने का थोड़ा काम बचा था उस वक्त हाई कोर्ट में कुछ ऐसी याचिकाएं पेश की गईं, रिट पेटीशन्स पेश किये गये, जिस के अंतर्गत स्टे आर्डर्स दिये गये और उतना काम रुक गया। इसके कारण वहां पर यह तय करना मुश्किल हो गया कि कौन-सी ज़मीन किस राज्य की है, कौन-सी बिहार की है और कौन-सी उत्तर प्रदेश की है और इसमें क्रिमिनल ज्युरिस्डिक्शन, सिविल ज्युरिस्डिक्शन का सवाल आ जाता है। इसलिये वहां पर कई तरह की कठिनाइयां इस संबंध में पैदा हो गई थीं।

आपने पूछा क्या यह ज़मीदारों या किसानों के बीच का झगड़ा है, या हरिजनों या नान-हरिजनों के बीच का झगड़ा है। तो यह झगड़ा किसी वर्ग-विशेष का, जाति विशेष का झगड़ा एक दूसरे के साथ नहीं है। यह झगड़ा उन लोगों का है जो किसी जगह फसल बोते हैं। और दूसरे काटने को उतारू हो जाते हैं और इस चीज़ को रोकने के लिए वहां इस बात का निर्धारण करना होता है कि कौन-सा स्थान किस राज्य की सीमा में आता है फिर रिकार्ड मंगा कर तय कर सकते हैं कि किसको फसल काटने का अख्तियार है। पर जब यह तय नहीं है कौन-सा भाग बिहार का है, कौन-सा भाग उत्तर प्रदेश का है, तो कोई सरकारी अधिकारी वहां पर निर्देश देने जाता है, तो वहां पर बड़ी कठिनाइयां पैदा होती हैं। जो यह कठिनाई पैदा हुई यह कठिनाई इसी साल की है हम समझते हैं कि संसद् के निर्णय के अनुसार जब खम्भे गाड़े जायेंगे स्थायी सीमा निर्धारित हो जायेगी, तो ये सीमा के झगड़े नहीं होंगे और ये झगड़े समाप्त हो जायेंगे। तो जैसा कि मैंने मूल वक्तव्य में कहा हमारे आयुक्तगण जो इस चीज़ को तय करने के लिये मिल रहे है उससे मुझे उम्मीद है वह इस काम को संतोषप्रद ढंग से कर पायेंगे।

MR. CHAIRMAN : As the list is a long one, I am adopting the practice which we used to adopt, namely, calling one hon. Member from each group first and then later on if there is time or if the discussion needs more time then I will call others.

श्री चन्द्र शेखर (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, यह जो सारा मामला है यह मेरे ज़िले से संबंध रखता है । जो मंत्री महोदय ने कहा है सिर्फ उतना ही तथ्य नहीं है ; तथ्य उससे अधिक है और यह केन्द्रीय सरकार लापरवाही के लिये ज़िम्मेदार है जिससे सारी कठिनाई पैदा हो रही है ।

श्री सभापति : आप ज़रा बैठिये ।

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : आपने जो अभी आदेश दिया, मेरा निवेदन यह है कि एक पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति को बुलाने के पश्चात् अगर समय रहे तो फिर दूसरे सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिये बुला लीजिए ।

मेरा इस संबंध में यह निवेदन है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस दल का बोलने वाला सदस्य होता है उसकी अपेक्षा जो पीछे बैठने वाले हैं वे अधिक जानकारी रखते हैं और उस जानकारी के आधार पर वे सवाल करने से वंचित रह जाते है ।

श्री सभापति : मुझे पहले से ही बता दिया जाना चाहिये कि किनको अधिक जानकारी है ।

श्री निरंजन वर्मा : मेरा निवेदन यह है कि अगर पार्टी से एक ही आदमी को बुलायेंगे तो इसके बाद उनका अधिकार प्रश्न करने का समाप्त हो जायेगा । अत: मेरा आप से आग्रह है कि आप पीछे वाले लोगों को भी प्रश्न करने के लिए अवसर प्रदान किया करे ।

श्री प्रतुल चन्द्र मित्र (बिहार) : यह बिहार और यू० पी० का विषय है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप यू० पी० और बिहार के सब मेम्बरों को प्रश्न करने की इजाज़त दें ।

श्री सभापति : आप पहले बैठ जाइये ।

श्री प्रतुल चन्द्र मित्र : आप यू० पी० और बिहार के मेम्बरों को प्रश्न करने के लिये पहले बुलायें ।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : इस झगड़े ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है और जितना सहज और साधारण मंत्री जी इसको समझ रहे हैं शायद उतना सहज और साधारण मसला यह नहीं है । यूं तो बिहार और यू० पी० की सीमा पर हमेशा ही इस तरह के झगड़े होते ही आ रहे हैं । लेकिन जब से त्रिवेदी एवार्ड हुआ है तब से इस झगड़े का विस्तार और उग्रता बढ़ गई है और इस तरह से वहां पर कई खून, डाके तथा लूट की वारदातें हो चुकी हैं । सब से उग्र झगड़ा जो है वह उमरपुर दियारा के संबंध में है, जहां की ज़मीन उत्तर प्रदेश में हस्तान्तरित होने वाली है । यही बात झगड़े का कारण बनी हुई है ।

श्री सभापति : आप सवाल कीजिये ।

श्री सूरज प्रसाद : बगैर पूरी तरह से बात बतलाये समझ में नहीं आयेगी और इसीलिये मैं शार्ट में अपनी बात रख रहा हूं । तो यह प्रधान झगड़े का कारण है वह उमरपुर दियारा के संबंध में है, जिसका रकबा 16 हज़ार एकड़ का है । 16 हजार एकड़ की जो यह ज़मीन है इस ज़मीन के मालिक उत्तर प्रदेश के नरही गांव के जमींदार लोग है । इस ज़मीन का सर्वे 1967 में हुआ था ।

श्री सभापति : अब आप डिटेल में जा रहे है और इस तरह से आप दूसरे लोगों को प्रश्न करने का मौका नहीं देंगे ।

श्री सूरज प्रसाद : मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं । तो मैं यह कह रहा था कि इस ज़मीन का सर्वे 1967 में हुआ था । उस सर्वे में उमरपुर दियारा के जो बटाईदार हैं उन्हें सर्वे के दरम्यान खेतयान लिखा गया है और वे अब कानूनी बटाईदार हैं । अब जो नरही के ज़मींदार हैं वे यह प्रयास कर रहे हैं कि जो कानूनी हक बटाईदारों को मिल गया

है वह कानूनी हक उन्हें न मिल पावे और उनकी ज़मीन छीन ली जाये ।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिये और इतनी लम्बी बात मत कहिये ।

श्री सूरज प्रसाद : इसलिये उन्होंने 23 अक्तूबर को यानी वहां के ज़मीदारों ने उमरपुर दियारा के बटाईदारों के ऊपर हमला कर दिया और 11 आदमियों को जान से मार दिया। वे लोग इन लोगों की लाशों को खींच कर ले गये और टुकड़े-टुकड़े करके उसे गंगा में फेंक दिया । 13 फरवरी को फिर एक घटना हो गई और उस दिन यू० पी० पुलिस की मदद लेकर 400, 500 जमींदार आये। वे लोग फसल काटना चाहते थे और बटाईदारों को मारना चाहते थे, लेकिन बिहार की पुलिस की उपस्थिति के कराण यह झगड़ा नहीं हो सका ।

श्री सभापति : आप प्रश्न कीजिये ।

श्री सूरज प्रसाद : इसलिये मैं सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह बात मालूम है कि नहीं कि जो ज़मीन बिहार की यू० पी० या यू० पी० की बिहार को ट्रान्सफर होने वाली है वह जो गांव ट्रान्सफर होंगे तो जब बिहार के गांव यू० पी० में ट्रान्सफर हो जाते हैं वहां पर नाम दूसरा हो जाता है और इसी तरह से यू० पी० के गांव बिहार में ट्रान्सफर हो जाते हैं तो दूसरा नाम हो जाता है और इस तरह से टनेन्ट्स भी दूसरे हो जाते हैं इसी तरह से उमरपुर दियारा जब यू० पी० में ट्रान्सफर हो जाता है तो उसका नाम बदल कर नरही डेरा हो जाता है । आप इस चीज़ को नक्शे में देख लें । इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उमरपुर दियारा के अन्दर बटाईदारों को जो राइट्स मिले हैं, उन राइट्स की हिफाज़त यह सरकार करेगी या नहीं ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि 23 अक्तूबर को जिन बटाईदारों का खून हुआ था और ये खूनी यू० पी० के रहने वाले हैं जो इस समय वहां पर बेदाग घूम रहे हैं क्या सरकार उन लोगों को पकड़वाने में मदद देगी और उन्हें बिहार सरकार के सुपुर्द कर देगी ताकि उनके ऊपर केस चलाया जा सके ।

तीसरी बात मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि यह झगड़ा इतना उग्र होता जा रहा है कि अगर यह इलाका यू० पी० में ट्रान्सफर होगा तो यह निश्चित है कि जो बटाईदार हैं उनके हकों की रक्षा नहीं हो सकेगी । इसलिये कि यू० पी० पुलिस नरही के जमींदारों के पाकेट की चीज़ हो गई हैं । ऐसी हालत में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात नहीं हो सकती है कि जो यह ज़मीन है वह यू० पी० को हस्तान्तरित न हो । ऐसी बात सम्भव है या नहीं है । अगर यह सम्भव नहीं है तो मैं सिर्फ उमरपुर दियारा के लोगों की बात कह रहा हूं कि जो त्रिवेदी एवार्ड के मुताबिक यू० पी०-बिहार डिस्पूयट ऐक्ट बना है उसमें कुछ ऐसा संशोधन करें ताकि यह इलाका कम-से-कम यू० पी० में ट्रान्सफर न हो सके । अगर यह उनके लिये संभव नहीं है तो नोटिफिकेशन जारी करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह इलाका हस्तान्तरित होने से बच जावे । यह कोई मुश्किल बात नहीं है । मैं सरकार को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि सराय केला और खरसवान के कुछ हिस्से को लेकर इस तरह का झगड़ा हुआ था और जिसमें कई आदिवासी मारे गये थे । उस समय सरकार ने यह निर्णय किया कि यह इलाका उड़ीसा में ट्रान्सफर नहीं होगा । इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की कोई बात करने को वह तैयार हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति महोदय, यह कोई सहज मामला नहीं है । मैंने पहले भी कहा कि यह बहुत कठिन और जटिल मामला है और इसके लिये, इस मामले को सुलझाने के लिये संसद् को कानून पारित करना पड़ा । इसलिये मैं यह कह सकता हूं कि यह मामला सहज और साधारण नहीं

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

बल्कि यह मामला काफी जटिल है । इस मामले को हम सब के सहयोग से हल करना चाहते है और इसीलिये त्रिवेदी आयोग की स्थापना की गई थी । इस आयोग ने सब बातों को देखकर एक एवार्ड दिया और उस एवार्ड को हमने उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार के पास भेजा । दोनों राज्यों की विधान सभाओं में इस एवार्ड के संबंध में बहस हुई । इसके बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो एक प्रस्ताव पारित किया और इस एवार्ड का समर्थन किया । बिहार विधान सभा मे इस एवार्ड के बारे में बहस हुई, परन्तु उन्होंने इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया । उसके बाद हम लोगों ने इस चीज को लेकर दोनों संसदों द्वारा एक कानून पास करवाया । राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद हमने सर्वे आफ इंडिया से कहा कि वह बाउन्ड्री का सर्वे करे । जैसा मैंने कहा कि सीमा में खम्बे गाड़ने का काम जारी था मगर बीच में इसलिये रूक गया कि पटना हाईकोर्ट से इस संबंध में स्टे आर्डर मिल गये । अब मै इस चीज़ को सहज और साधारण नहीं बतला सकता हूं कि क्योंकि यह एक बहुत जटिल बात है, लेकिन इसको हल करने के लिये जितना प्रयास किया जाना चाहिये वह सरकार कर रही है और अब ऐसा लगता है कि उसका हल करीब करीब आ गया है ।

अब इसमें यह सवाल आता है कि कौनसी जमीन कहां जाती है और कहां नहीं जाती है । इसका जो विस्तृत विवरण है वह जो हमने कानून पास किया है उसमें दिया हुआ है जो शिड्यूल बना हुआ है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है । जहां तक मुझे याद है कि जो जमीन उत्तर प्रदेश की बिहार में चली जायेगी और जो जमीन बिहार की उत्तर प्रदेश में चली जायेगी उसमें रेवन्यू और टेनेन्सी राइटस वही अप्लाई होंगे जो पहले अप्लाई होते थे । इस तरह का प्रावधान जहां तक मुझे यदि है इस बिल में किया गया है जिससे यदि बिहार की जमीन उत्तर प्रदेश में चली जाये, उत्तर प्रदेश की जमीन बिहार में चली जाये तो वहां सैटिलमेंट इत्यादि में कोई फर्क न हो । इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया है । इसलिए यह करना हमारे लिए सम्भव नहीं है कि हम नोटीफिकेशन को रोककर, जो इतने दिनों के झगड़े के बाद जो चीज़ तय हुई है उसको फिर से खड़ा करें । इसलिए जो संसद् द्वारा कानून पास हो चुका है, जो मामला तय हो चुका है, उसको खोलने का इरादा सरकार का नहीं है ।

जहां तक वहां के किसानों की जमीन के अधिकारों की रक्षा करने का सवाल है, हम लोगों का इस बारे में स्पष्ट मत रहा है कि जिनका अधिकार जमीन में है, जो खेती करते है उसके बारे में वहां के अधिकारा जांच पड़ताल करेंगे उनके अधिकारों का निर्धारण करेंगे और उन अधिकारों के अनुरूप उन्हें वहां पर फसल काटने और जमीन को काम में लाने का मौका दिया जायेगा ।

वह शांतिपूर्ण ढंग से हो सके, उसके लिये चाहे वे पुलिस लगाएं लेकिन यह देखना चाहिये कि वहां लड़ाई झगड़े न हो और वहां किसानों को अपने अधिकार के अनूरूप कार्य करने का अवसर दिया जाय, वहां गुन्डागर्दी करके या बलप्रयोग करके कोई उनके अधिकारों का हनन न कर सके, यह कार्य दोनों राज्य सरकारों को करना चाहिये, यह हमने कहा भी है ।

माननीय सदस्य ने कहा कि हमको खूनियों को पकड़ने में मदद करनी चाहिये । अगर हमसे यह मदद मांगी जाय तो हम मदद करने को तैयार है । संविधान के अनुसार कानून और व्यवस्था के जो सवाल होते हैं उनमें केन्द्रीय शासन का कोई अधिकार नहीं होता । अगर मदद मागी जायेगी तो हम अवश्य मदद देंगे । यह बहुत ही भीषण घटना थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी । हमारा प्रयत्न यही है कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं आग न हों ।

श्री महावीर त्यागी : सभापति महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं। इस सवाल में सबसे गम्भीर जो पाइन्ट है वह यह है कि दोनों सरकारों की पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला आपने, इसलिये यह साफ कहिए। इस में लिखा हुआ है–

"To call the attention of the Minister of Home Affairs to the reported confrontation between the armed police forces of Uttar Pradesh and Bihar. . ."

अगर यह वाक्य हुआ तो यह भंयकर चीज है। अगर दो स्टेट्स की गवर्नमेंट अपनी पुलिस को लाकर एक दूसरे से मुठभेड़ करती हैं, तो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी आखिरी होती है। इस पर प्रकाश डालिए कि क्या हुआ।

श्री सभापति : जो सवाल आपसे किए जायं, और लोग करेंगे जिनको मैं पुकारूंगा, उनका जवाब देते वक्त आप इस बात पर भी गौर करके बताएं।

श्री महावीर त्यागी : मुठभेड़ हुई या नहीं, यह बता दीजिए।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार से कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 23-10-69 को जब उमरपुर दियारा में किसान अपने खेतों पर काम कर रहे थे तो हथियारों से लैस सैंकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं और उन्होंने खेती करने वाले किसानों पर प्राणघातक हमले किए हैं? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि 10 आदमी तो वही मर गए एट दि स्पाट, उनकी बोटी-बोटी काट कर इधर उधर फैंक दिया गया और एक आदमी अस्पताल में जाकर मरा? कुछ और भी बातें कही जाती हैं, लाशें गायब हैं जिनका पता ही नहीं चलता, वे लोग मिसिंग कहे जाते हैं। बक्सर की पुलिस 8 मील दूर जहां यह घटना घटी वहां 3 घंटे बाद पहुंची है। सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं? यदि सरकार को जानकारी है कि 8 मील की दूरी पर इतना बड़ा कांड हो और पुलिस 3 घंटे के बाद पहुंचे तो क्या वह केवल पुलिस की अकर्मण्यता है या उसमें पुलिस की सांठगांठ या साजिश भी कहीं आती है, इसके बारे में सरकार ने कोई जांच की या नहीं? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पहली दिसम्बर, 1969 को इस सेवक ने राज्य सभा में कुछ इसके ऊपर चर्चा की है? इसके अलावा जब मैं खुद पहुंचा हूं 30 नवम्बर को उमरपुर दियारा तो बिहार की सारी पुलिस एकदम से लैस खड़ी थी, वे बोले नहीं जाने देंगे। हम ने कहा फिर मारो, हम तो जाने के लिये आए हैं, हम तो जाएंगे, जहां लोग शहीद हुये हैं वहां मैं जाऊंगा, हां तभी तुम हमको जाने दोगे अगर हमारी लाश बना दो। पता नहीं कोई अफसर था, उसके ऊपर वेटर सैन्स प्रिवेल किया, बोला आपके साथ जो भाले लेकर लोग आएं है वह रखवा दो, हमने कहा नहीं रखवाएंगे, जब 11 आदमियों की जान गई तब तुम लोग कहां थे, अब हमारे साथी अपनी रक्षा के लिये भाला लेकर चल रहे हैं तो हम नहीं कह सकते उनसे कि भाला रख दें, हमने पुलिस को साफ इन्कार कर दिया लेकिन हमने उन लोगों से कहा कि रखना चाहो तो रख दो, मैं गया, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हमने भाषण दिया, शहीदों पर पुष्प चढ़ाए। उसके बाद हम पटना होते हुए यहां चले आये। अब इस की नजाकत देखिये, मंत्री जी कितने अनभिज्ञ हैं। त्रिवेदी कमीशन की रपट कुछ प्रभावों में पड़कर मुकम्मिल तौर पर कानून की शक्ल में नहीं आई। जो कानून बना है संसद के द्वारा अगर त्रिवेदी कमीशन की रपट को ठीक ढंग से उसमें रखा गया होता तो हो सकता है कि इस प्रकार के झगडे होते ही नहीं, मगर यह सरकार दबाव में आकर काम करती है। रपट कुछ, कानून कुछ। रोज खूनखराबी हो रही है। अब स्थिति क्या है? नरही के मालिक हैं, मालिकाना हक नरही वालों

[श्री राजनारायण]

का है, नरही के लोग उस जमीन को बेच सकते हैं, लेकिन बिहार के जो गरीब किसान हैं वे उस पर खेती करते हैं और उनके द्वारा 14 सेर प्रति मन के पीछे मालिकान को देने की व्यवस्था आज है । क्या सरकार को जानकारी है कि मालिकान हैं नरही, उत्तर प्रदेश बलिया जिला जबकि एक्चुअल टिलर आफ साइल बिहार है । जैसा सम्मानित सदस्य ने बताया, बिहार में बटाईदारी का हक उनको मिला हुआ है, कुछ का चढ़ा है, कुछ का नहीं चढ़ा है । हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि सबका नाम चढ़ जाय, सबका नाम नहीं चढ़ा ।

श्री महावीर त्यागी : मालिक यू० पी० वाले हैं ?

श्री राजनारायण : हां ।

श्री महावीर त्यागी : तो फिर क्यों बीच में आते हो ?

श्री राजनारायण : वही मैं कह रहा हूं, त्यागी जी, मालिक यू० पी० है, एक्चुअल टिलर आफ दि साइल बिहार है, गरीब बिहार, यू० पी० धनी । सवाल यह उठता है कि 14 सेर फी मन जो खेती करते हैं वे अपनी उपज का देते हैं तो इस कारण झगड़ा तो हो ही सकता है, इस झगड़े को रोकने के लिये सरकार क्या सोच रही है ? जब वहां फसल कटेगी, किसान काटेंगे तो मालिक जायगा, मालिक कहेंगे कि 14 सेर फी मन दो, किसान कहेंगे उसमें इतना ही पैदा हुआ, मालिक कहेंगे इतना नहीं, इतना पैदा हुआ । यह निरन्तर का झगड़ा वहां खड़ा हुआ है । इसलिये हम चाहते हैं कि सरकार तत्काल यह व्यवस्था करे कि 14 सेर प्रति मन पीछे जो मालिकान को देने की व्यवस्था है वह फौरन समाप्त कर दी जाय, वरना जो यह रवी की फसल हो रही इस समय फिर भंयकर उत्पात होंगे । अतः 14 सेर देने की व्यवस्था फौरन समाप्त कराई जाय ।

दूसरी बात, जो खेत जोतने वाले हैं और जिनके नाम पर्चा नहीं कटा है उन लोगों का सही माने में पर्चा काट दिया जाय, उनका नाम वाकायदा चढ़ा दिया जाय कि यही इस खेत को जोतते हैं और वही जमीन के मालिक बना दिए जायें। जमीन जोतें हम और मालिक हों श्री विद्या चरण जी शुक्ल तो बराबर झगड़ा रहेगा । इसलिये जो जमीन जोते वही उस जमीन का मालिकाना हक भी रखे, इस व्यवस्था को सरकार फौरन कराए ।

तीसरी हमारी मांग है कि उमरपुर दियारा में जो शहीद हुए शिवदहीन यादव, राजनारायण कुर्मी, राजनारायण यादव, इन्द्रदेव यादव, बव्वन यादव, श्रीराम गौड़, बुद्धन यादव, शिवबचन यादव, शिवनाथ, सत्यनारायण, अनूपा यादव, ये जो 11 आदमी मरे हैं इनके परिवार वालों को कुछ मुआवजा दिया गया, उनकी सहूलियत के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की, इसकी पूरी जानकारी सरकार को सदन के सम्मानित सदस्यों को देनी चाहिये । मैं सुझाव देता हूं कि भविष्य के झगड़े को दूर करने के लिये जो वहां जमीन जोतते हैं उनका मालिकाना हक हो । एक यहां प्रश्न खड़ा हो सकता है । जैसा माननीय शुक्ल जी ने कहा--आप भी थोड़ा सा इसे सुन लें--जमीन कहीं बदल भी जायगी तो टेनेन्सी एक्ट पुराना हो लागू होगा ।

तो वह मालिक यह कैसे कह सकता है कि हमारा तो मालिकाना हक है । अगर आप मालिकाना हक उन को देते हैं तो हम को मुआवजा दो । वह छोटे छोटे किसान हैं जो वह जमीन जोतते हैं । वह मुआवजा नहीं दे पायेंगे । भविष्य में इस तरह का खून-खराबा न हो । अगर मुआवजा देने की कोई बात हो तो उत्तर प्रदेश की सरकार दे या केन्द्र की सरकार दे या बिहार की सरकार दे मगर उन किसानों पर उस का तनिक भी भार नहीं पड़ना चाहिये, यह मैं आप से विनम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि क्या ऐसी व्यवस्था यह सरकार करेगी और भविष्य में

जब तक मेरे सुझाव के मुताबिक कायदे कानून न बनें तब तक वहां कोई गड़बड़ न हो और वहाँ जो किसान जमीन जोतते हैं और खेती करते हैं उन की फसल उत्तर प्रदेश की पुलिस की सहायता से काट न ली जाय, उन की फसल छीन न ली जाय इस के बारे में क्या कोई व्यवस्था यह सरकार करेगी इस बारे में जानना चाहता हूं ।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the chair]

श्री विद्या चरण शुक्ल : महोदय, पहले जो प्रश्न माननीय सदस्य महावीर त्यागी जी ने पूछा था मैं उस का उत्तर देना चाहता हूं । त्यागी जी अंग्रेजी मुझ से ज्यादा अच्छी जानते हैं । स्टेटमेंट में शब्द 'कंफ्रंटेशन' लिखा हुआ है, कंफ्लिक्ट की बात कहीं नहीं है । तो वहां कॉफ्लक्ट या क्लैश कहीं नहीं हुआ यह बात मैं साफ कर देना चाहता हूं ।

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : It is the same thing in other words.

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह ठीक है कि कंफ्रंटेशन हुआ लेकिन कंफ्लिक्ट कहीं नहीं हुआ । माननीय राजनारायण जी ने जो प्रश्न पूछे उन का संबंध राज्य सरकारों से है । (*Interruption*) मैं बताता हूं कि कैसे । बहुत सी बातें हैं उन की जो सरकारों के, राज्य सरकारों के टेनेन्सी ला से और रेवेन्यू ला से संबंधित हैं जो उन राज्यों के क्षेत्र में सवाल आते हैं उन से संबंधित हैं । श्रीमन्, जो रोल है केन्द्र सरकार का वह यह है कि दो राज्यों के बीच में यदि इस प्रकार की सीमा को ले कर झगड़े होते हैं तो उन को शान्तिपूर्ण ढंग से हम तय करा दें और उन की व्यवस्था कर दें और उस के बाद जो प्रश्न पैदा होते हैं जैसे कि बटाईदारों का प्रश्न है या 14 सेर अनाज एवज में देने का प्रश्न है या किस को जोतने का अधिकार है और किस को नहीं है, या कानून के जो दूसरे प्रश्न हैं और जिन का राज्य सरकारों से सम्बन्ध है, उनमें राज्य सरकारों को अधिकार है और उनकी जिम्मेदारीं हैं, लेकिन इस लिये हम आंख मूंद लें उन की तरफ से, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं । चूंकि दोनों सदनों के माननीय सदस्य चिन्तित हैं इस बारे में और उन्होंने समय समय पर इस प्रश्न को उठाया है इसलिये हमने इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों से लिया और उनको कहा कि इस को आप ठीक से सेटिल करें ताकि वहां जान माल की गड़बड़ न हो, लूटपाट न हो, फसलों को जबरदस्ती काट न लिया जाय और यह सुझाव भी उन को दिया कि वहां अच्छे आदमियों को भेज कर इस बात का इंतजाम तत्काल ही किया जाय क्योंकि कटाई का समय आ गया है और वह बहुत दिन तक रोकी नहीं जा सकती । तो वहां ठीक इंतजाम हो इस बात की हम को चिन्ता है और हम वहां दिन प्रति दिन की स्थिति से संपर्क रखें हुये हैं, क्योंकि मशीनरी उन के पास है काम करने की, कानूनी अधिकार उन के पास हैं, हम लोग तो केवल उन को कह सकते हैं और चूंकि संसद में इस बात को उठाया गया है और इस के लिये बहुत से माननीय सदस्य चिन्तित हैं इस लिए हम यह काम कर रहे हैं और जो सुझाव माननीय सदस्य देते हैं वह हम राज्य सरकारों के सामने पेश कर देंगे ।

श्री राजनारायण : सरकार ने खुद ही यह कहा है कि जो ऐक्ट बना है अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है और उस के मुताबिक डिमार्केशन नहीं हुआ है । तो जब तक वह ऐक्ट लागू न हो तब तक वहां के झगड़े को बचाने की जिम्मेदारी केन्द्र की होगी या नहीं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : ऐक्ट पूर्ण रूप से लागू हो चुका है । उस पर सर्वे हो गया, जहां फिक्स्ड बाउन्डरी पिलर्स लगने हैं वह स्थान [illegible] निर्धारित कर दिया गया और बाउन्डरी पिलर्स लग भी गये हैं । थोड़े से स्थान बच गये हैं जहां बाउन्डरी पिलर्स नहीं

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

लगे हैं, लेकिन उनका स्थान निर्धारित कर दिया गया है कि यहां पिलर्स लगने हैं। पूरी वाउन्डरी वहां की निर्धारित हो चुकी है केवल एक चौथाई बाकी है।

श्री राजनारायण : वहां की क्या व्यवस्था है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : वहां की व्यवस्था यह है कि वहां पर अभी दोनों राज्य सरकारों ने इंतजाम किया है कि लड़ाई झगड़े न हों और वहां पर जैसा आप जानते हैं कि बिहार के पटना उच्च न्यायालय ने एक रिट पिटीशन में स्टे आर्डर दे दिया था इसलिये वे काम नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी ही वह काम हो जायेगा।

SHRI A. P. CHATTERJEE : The hon. Minister has not clarified and I am, therefore, seeking it. May I know whether this business of marking of boundary pillars between U. P. and Bihar according to the Trivedi Award has led to increased onslaughts by the zamindars of the particular village just now named upon the share-croppers? If so, why actually is this demarcation being stayed? Mr. Shukla, of course, has referred to is various-difficulties. The Trivedi Award was given a long time ago and when it had been given a long time ago and if such a dangerous situation is prevalent there, it naturally leads to confrontation. It may not be conflict. Confrontation means armed posture. It has led to an armed posture between the police forces of the two States. If it has led to such threat and destruction of life and property of the share-croppers, then why actually has there been so much delay in implementing the Award and in making a proper notification of the Act which has been passed? That is the first thing. The second thing is this. As far as the destruction of life is concerned, we have heard about the gruesome murder, how eleven persons were killed, how they were cut into pieces and thrown into the river. There was some murder in December. The hon. Minister, if I have understood him, has taken it in a rather light fashion May I ask the Minister and the Central Government to release at least a part of the energy which they are showing in regard to the murder of the Sain brothers in Burdwan, remembering also that as far as the Sain brothers of Burdwan are concerned, there is a volume of opinion that they are anti-social elements. As far as the share-croppers are concerned, they are not anti-social. They really produce with the sweat of their brow. Will the Central Government release a part of their energy in relation to the poor share-croppers on the border of Bihar and U. P. and see that they are not butchered and they are not cut into pieces like that?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have already said that the difficulty arose because of the stay order passed by the Patna High Court. Otherwise, the entire demarcation and transfer of territory, etc. would have been completed by now. Actually by the middle of last year, the entire fixation of the land points with the boundary pillars was done and because of the difficulty raised by the stay order of the Patna High Court, it was not completed.

SHRI A. P. CHATTERJEE : When was the stay order given ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : As far as the conflct is concerned, it is not really between the zamindars and the Batedars everywhere. Sometimes the reverse is the case and basically the difficulty and all the trouble is between various individuals. Some of them happen to be at some point Batedars and at some other point zamindars. It is not that the whole confrontation is between the share-croppers and the zamindars. It is all diffused here and there. It is very unfortunate that he tries to compare the tragedy in Ballia with Burdwan. There is no parallel in this. The genesis is different, the causes are different and everything else is different. There is no comparison between the two.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : The problem which has been referred to is not an isolated instance. Every year this kind of question arises and the Government has to face the problem because of the change in the course of the Ganga between the two districts. In this case may I know from the hon. Minister who

were the persons who actually cultivated the land, who actually ploughed the land, who had sown, etc? In view of the fact that there was an apprehension of this nature, what did both the Governments do at the particular time of sowing? It was known that the share-croppers of Bihar cultivated that portion and now this confrontation took place at the time of harvesting. Why did not the Governments pay particular attention to a solution of the problem much earlier than the harvesting period?

What does the Government now propose to do in the matter of amicable settlement with the intention of seeing that the share-croppers, right should be protected and they will enjoy the fruit as is given by the Act now in vogue today?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have already explained that his disputes is not really between the sharecroppers and the zamindars everywhere. It is some times between batedars.

श्री सूरज प्रसाद : उमरपुर दियारा में यह जमीदारों और बटाईदारों के बीच है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं तो पूरी बाउंडरी की बात कह रहा हूं।

I have already explained that to determine this precise question that the hon. Member has asked the Commissioners of Division have been asked to meet and go into the details of it, details as to who actually cultivate, who has the right to cultivate, who actually did cultivate, who should harvest the crop, and things like that. The Commissioners would meet and they would decide the matter. He is asking why we did not pay attention to it earlier. This problem arose only after the monsoons. Then the process went on and we thought that it would be decided by the respective authorities. This question was not even raised by the hon. Members here in this House. The intimation of this problem and the difficulties came to us only a few weeks back, not earlier. Till then nobody had brought this to our notice, neither the Governments nor the Members. As soon as this came to your notice we took action to see that this problem was amicably solved.

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : डिप्टी चेयरमैन महोदय, यह झगड़ा आज का नया नहीं है बहुत सालों से चल रहा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सदियों से।

श्री शीलभद्र याजी : जिले जिले में चल रहा है, पटना जिले में चल रहा है, दरभंगा जिले में चल रहा है। यहां तो बलिया और शाहाबाद की बात हुई। वह तो दो प्रान्त की बात है। मैं तो एक बात सरकार से पूछना चाहता हूं कि टेनेन्सी एक्ट के मुताबिक जो ज़मीन जोतते हैं, चाहे वह बिहार में जमीन चली जाय या चाहे वह यू० पी० में जमीन चली जाये, तो जो जमीन जोतेगा उसकी रक्षा की जायगी या नहीं। यह जो हमारी सरकार है वह जो कानूनी हक है, जो हक टेनेन्सी एक्ट से है, उसकी रक्षा करने के लिये तैयार है या नहीं।

दूसरी बात यह है कि अभी चित्रण किया गया कि ज़मीदारों का झगड़ा है, किसान का झगड़ा है, तो ज़मीदारी तो दोनों प्रान्त में है नहीं।

श्री सूरज प्रसाद : जिनके पास बहुत खेत हैं वह ज़मीदार हैं।

श्री शीलभद्र याजी : जरा सुनिये। ये जो बड़े कृषक है और छोटे कृषक हैं।

श्री उपसभापति : याजी जी, आप सवाल पूछ लीजिये।

श्री शीलभद्र याजी : डिप्टी चेयरमैन साहब, झगडा बहुत भारी है, इसका हल न तो यू० पी० सरकार से होगा और न बिहार की सरकार से होगा जब तक कि सैंट्रल गवर्नमेंट न्याय नहीं करेगी। ऐसे झगड़े तो चलेंगे वह मानेंगे नहीं। वह कोर्ट में जायेंगे। इसलिये असली चीज जो है वह यह हैं कि जो ज़मीन जोते उसकी रक्षा हो। गंगा तो बराबर बदलती है और बदलती जायगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिये जो जमीन जोतने वाला है वह ज़मीन उसकी रहेगी, चाहे जमीन उत्तर प्रदेश में चली

[श्री शीलभद्र याजी]

जाय या बिहार में रह जाय । तो मेरा कहना है कि यह सरकार इस तरह की चीज़ को इम्पलीमेंट करेगी या नहीं और यदि नहीं करेगी तो झगड़ा बराबर रहेगा । यही मेरा पूछना है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जो माननीय याजी जी ने कहा वही उद्देश्य इस संसद के कानून का है और सरकार इसके द्वारा यही करने की कोशिश कर रही है कि जिसके अधिकार में ज़मीन रही जो जमीन जोतता रहा उसे फसल काटने का, ज़मीन को जोतने का, अधिकार रहे । यही हमारा उद्देश्य है ।

श्री शीलभद्र याजी : इसके लिये क्या परमानेन्ट मशीनरी बनाई है ?

श्री राजनारायण : जो सवाल शुक्ल जी ने कहा वह मै कुछ बता दूं ।

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, आप अब नहीं बतायें ।

श्री शीलभद्र याजी : जो केन्द्र की सरकार इसके लिये परमानेन्ट मशीनरी बनाने जा रही वह क्या है ? क्या इस चीज को आप जल्दी से जल्दी करने जा रहे हैं या नहीं ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, शुक्ला जी जवाब दे रहे थे । वह जवाब तो दे दें ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इसके लिये तो परमानेन्ट मशीनरी बनी हुई है, यह जो चीज़ है वह तो राज्य सरकारों के निर्णय की है, केन्द्रीय सरकार की मशीनरी की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब कोई डिसप्यूट होता है तो केन्द्र उसमें हस्तक्षेप करती है, तो इस त्रिवेदी एवार्ड के बाद उमरपुर दियारा से सम्बन्धित जो डिसप्यूट है उस डिसप्यूट में कितनी बार झगड़े हुए हैं और कितने लोग मारे गये हैं और घायल हुए हैं और कितने केसेज़ चल रहे हैं । इसकी केन्द्रीय सरकार को सूचना है या नहीं । यह मेरा पहला प्रश्न है ।

दूसरे यह कि जैसा कि शीलभद्र याजी ने कहा , क्या यह सरकार आज यह घोषणा करेगी– त्रिवेदी एवार्ड में भी यह बात है, जिस वक्त हम विधान सभा में थे उस वक्त ही यह त्रिवेदी एवार्ड पास हुआ था – कि यह ज़मीन उत्तर प्रदेश की बिहार में जाय या बिहार की ज़मीन उत्तर प्रदेश में जायगी जो उसका रय्यत है उसी की वह रहेगी, रय्यत जो है वह वही रहेगा, मालिक भले ही उत्तर प्रदेश बन जाय या चाहे बिहार बन जाय तो वह रय्यत जो जिस ज़मीन पर है, जहां है, चाहे जिस दियारे में हो, वह रहेगा । तो क्या सरकार आज अभी इसकी घोषणा कर देगी कि जो रय्यत जहां पर है उस रय्यत की उस ज़मीन पर मिल्कियत रहेगी ? यह सरकार घोषणा करेगी तब तो वहां के झगड़े का फैसला कुछ हो सकता है ।

तीसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि यह कटाई का सीज़न चल रहा है और यह कोई आज का झगड़ा नहीं है बहुत पहले का है, दूसरी फसल की बुवाई से चल रहा है तो सरकार आज कौन सा कारगर कदम उठा रही है जिससे कि इस कटाई में दिक्कत न हो । यह एक निश्चित बात है कि दोनों प्रदेश को पुलिस भी मौजूद है और वहां पर स्थिति यह है कि वह फसल जो लगी हुई है ज़मीन में उसको कौन काटे, बिहार का किसान काटे या उत्तर प्रदेश का किसान काटे और दोनों किसानों को मदद करने पर दोनों सरकारों की पुलिस तैयार है, तो इस बीच में केन्द्र की सरकार ने ऐसी कौन सी स्थिति पैदा की है जिससे कि फसल ठीक ठीक कट जाय और वह जिसने बोई है उसको मिल जाय या जिसकी वह है उसको वह मिल जाय इसके लिये केन्द्र की सरकार ने क्या किया है।

तो इन तीनों बातों का आप जवाब दें ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभापति महोदय, मै इन प्रश्नों का जवाब बार बार दे चुका हूं। वही बात बार बार कही जाती है, मै आपकी आज्ञा से फिर से दुहरा देता हूं। यह जो झगड़ा है वह काफी पुराना है और कई बार झगड़ा हुआ है, इसका विवरण दिया जाय तो वह बहुत लम्बा विवरण होगा कि कितने झगड़े हुये। कितने सालों से यह हो रहा है और मैं समझता हूं कि सैकड़ों सालों से हो रहा है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैंने त्रिवेदी एवार्ड के फाइनल होने के बाद से कहा है, शुरू से नही कहा है। त्रिवेदी एवार्ड होने के बाद का मैंने कहा।

श्री विद्या चरण शुक्ल : त्रिवेदी एवार्ड जारी होने के बाद जो बड़ा झगड़ा सामने आया है वह यह है, जो छोटे मोटे झगड़े हुये हैं उसका विवरण मेरे पास नही है वह सब राज्य सरकारों के पास विवरण होगा।

जहां तक रय्यत का सवाल है, मैंने इस को भी स्पष्ट किया था, कुछ समय पहले, जहां तक मुझे याद है दो साल पहले, जो कानून इस सदन से पारित हुआ था उसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि यद्यपि ज़मीन त्रिवेदी एवार्ड के साथ जाती है इस राज्य की उस राज्य में या उस राज्य की इस राज्य में लेकिन जो सेटिलमेंट था, जो सेटिलमेट किया गया था, उसमें कोई फेरबदल नही किया जायगा, इस तरह का प्रावधान उस कानून मे किया गया और इसलिये किसी का अधिकार, किसी की ज़मीन का अधिकार इसलिये नही छीना जायगा कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में चली गई है। तो इस तरह का प्रावधान किया गया है।

जहां तक इंतजाम करने का सवाल है, मैंने यह भी कहा कि तत्काल, जैसे, जब इस बात का पता लगा तो हमने कोशिश की दोनों राज्य सरकारों से बात करने की, वहां एक विशिष्ट अधिकारी भेजा कि इस बात का अध्ययन करे, बातचीत करे और सेटिल करे। अब जब ज़रूरत होगी और हमसे सहायता मांगी जायगी तो हम हर तरह की सहायता उनको देने को तैयार हैं।

श्री उपसभापति : इस पर काफी बहस हो चुकी है और वही सवाल बार बार पूछे जा रहे है।

श्री प्रतुल चन्द्र मित्र: मुझे थोड़ा सा पूछना है। मेरा नाम है।

श्री चन्द्रशेखर : उपसभापति महोदय, यह हमारे जिले का मामला है, हमने शुरू में ही अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया था, अगर केवल शोर मचाने के बाद ही प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है तो दूसरी बात है...

श्री उपसभापति : जिनका नाम इसमें है उन्होंने ही पूछा है।

श्री चन्द्रशेखर : वह तो मैं जानता हूं लेकिन मैं अकेला आदमी हूं जिसके जिले का यह मामला है और वह ही सवाल नहीं पूछेगा।

श्री उपसभापति : ठीक है, आपको मौका मिलेगा अगर आप चाहेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि लिस्ट में जिनका नाम है उन्हें तो मौका देना ही है और लिस्ट बहुत बड़ी है। श्री पी० सी० मित्र।

श्री प्रतुल चन्द्र मित्र : क्या यह बात सही है कि जिस जिले का यह झगड़ा है वहां कानून और शान्ति की रक्षा करने का हक बिहार सरकार को है और क्या यह बात सही है कि जब उत्तर प्रदेश के ज़मीदारों को मदद करने के लिये उत्तर प्रदेश की पुलिस आ गई थी तो किसानों को मदद करने के लिये बिहार की पुलिस आई थी। यह बात भी क्या सही है कि अभी जो फैसला हुआ है वह हिन्द सरकार की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से, दोनों की ओर से, हुआ है कि ज़मीनों का जो कानून सुधार है वह एक वर्ष के अन्दर लागू हो जाय।

[श्री प्रतुल चन्द्र मित्र]

1 P.M.

इसी वजह से जो ज़मीदार है वह बटाईदार को हटाना चाहता है या जान से मार देना चाहता है जिससे वह मालिक बना ही रहे, जिससे दूसरे को प्रोप्राइटरशिप नही मिले इसी के लिये यह लड़ाई शुरू हुई है। जो बात पहले कही गई है कि कोई ऐसा तरीका जिससे यह लड़ाई न हो, इसके बारे में साफ करके नहीं कहा जाता है । क्या सरकार के पास यह लिस्ट है कि नहीं बटाईदार कौन-कौन है। क्या बटाईदार को समूचा मालिक माना जायेगा कि नही ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इन प्रश्नों का भी उत्तर मैं पहले दे चुका हूं और इस बात को कहना गलत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ज़मीदारों की रक्षा करने के लिये गई और बिहार प्रदेश की सरकार वहां के बटाईदारों की रक्षा करने के लिये आई। वहां दोनों राज्य सरकारें कानून और व्यवस्था की रक्षा करने के लिये आईं। उनको कोई व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं था, वह कानून और व्यवस्था के लिये आये थे। जैसा कि मैंने कहा, यह बात भी नहीं कि उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं ज़मींदार हैं और बिहार के जितने है वे बटाईदार हैं। दोनों तरफ छोटे और बड़े किसान हैं। कहीं कहीं पर बड़े किसानों के बीच में और छोटे किसानों के बीच में झगड़ा है। तो यह आरोप लगाना कि कोई किसी की तरफदारी करने आए यह बात नहीं है। मैंने यह कहा कि वहां के झगड़े को निपटाने के लिये आवश्यक है कि वहां पहले शांतिपूर्ण वातावरण रहे। फिर उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि कितना कानूनी अधिकार के पास है और उसके अनुसार चलना पड़ेगा।

श्री बी० एन० मंडल (बिहार) : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो झगड़ा है क्या इसका एक कारण यह है कि यू० पी० और बिहार की सीमा को लेकर विवाद है। दूसरा कारण यह है कि उमरपुर दियारा के ज़मीन के बटाईदार और जो नरही के ज़मीन के मालिक लोग है उन लोगों का झगड़ा है। तीसरी बात यह है कि इस झगड़े के सिलसिले में यू० पी० के जो बड़ी जात के आफिसर और पोलिटिशन्स हैं और बिहार के भी जो बड़ी जात के पोलिटिशन्स और आफिसर हैं क्या यह सब उनकी बड़ी जात के नरही के जमीन मालिकों की मदद कर रहे हैं या नहीं मदद कर रहे हैं? क्या इस झंझट को देख कर सेन्ट्रल गवर्नमेंट यह बात करने के लिए तैयार है कि इस झंझट को रफा करने के लिये और ग़रीबों को त्राण देने के लिए जो मिलकियत नरही के बड़े लोगों की है उसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने रुपये से ख़रीद ले और फिर उमरपुर दियारा की जमीन के बटाईदारों को जमीन का पूरा मालिक बना दे। क्या यह काम करने के लिये केन्द्र की सरकार तैयार है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है वह ऐसा नहीं है कि जिससे झगड़ा शांत हो जाये। झगड़ों का कारण उन्होंने जो बताया....

श्री बी० एन० मंडल : मिलकियत को सरकार खरीद क्यों न ले ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : सरकार ज़मीन खरीद कर वह झगड़ा नही निपटा सकती है। *(Interruptions)* मेरी बात सुन लीजिये। आपने जो बताया झगड़े का कारण साफ है। झगड़े का कारण मैं भी बता चुका हूं। लेकिन मैं छोटे बड़े जात की बात नहीं मानता हूं। छोटे बड़े जात की बात आप मानते हैं। तो इसमें आफिसरों की बात नहीं, छोटे बड़े का सवाल नहीं है। तो इस तरह की जात पात के झगड़े की बात मत लाइये।

श्री चन्द्रशेखर : उपसभापति महोदय, क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का यह सीमा विवाद 1946 से लगातार चल रहा है। इस विवाद को हल करने के लिये जब भी कोई कदम उठाया गया तो बिहार प्रदेश सरकार ने इसमें अड़ंगा डाला....

श्री सूरज प्रसाद : ग़लत बात है।

श्री चन्द्रशेखर : आप बैठिये। आप आज नये आये हैं। क्या यह सही नहीं है कि इसी सदन में गृह मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री गोबिन्द वल्लभ पंत और डा० श्री हरे कृष्ण राय, इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ उससे बिहार प्रदेश सरकार पीछे हट गई, उसने उस समझौते को लागू नहीं किया। क्या यह सही नहीं है कि त्रिवेदी अवार्ड मिलने के बाद जहां उत्तर प्रदेश की सरकार और विधान सभा ने इस अवार्ड को लागू करने का निश्चय किया, वहां बिहार की विधान सभा ने इस को लागू करने से इनकार किया क्या यह सही नहीं है कि त्रिवेदी अवार्ड के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में बिहार प्रदेश सरकार ने लोगों से रिट करवाया और रिट खारिज होने के बाद इस संसद से जो कानून पास हुआ उसको लागू करने में व्यवधान डालने के लिये फिर रिट दाखिल किया गया क्या यह बात सही नहीं है कि लगातार, हर साल–1946 से लेकर 1970 तक--कोई साल ऐसा नही गया है कि इस सीमा के ऊपर झगड़े न हुए हों, कभी बिहार के लोग मर रहे हैं कभी उत्तर प्रदेश के लोग मर रहे है और कम से कम 5 मर्तबा तो मैं ही इस सवाल को उठा चुका हूं। उपसभापति महोदय, इसबार भी माननीय गृह मंत्री को और माननीय राज्य मंत्री गृह विभाग को हमने यह कहा कि सीमा का अंकन आप तुरन्त करा दीजिये दोनों सरकारों से मिल कर। क्या उपसभापति महोदय, गृह मंत्री को यह मालूम है कि पिछले साल जब आपका विधेयक आया था तो हमने कहा था कि बिहार के लोगों का हक साबित करने के लिये बिहार की हुकूमत के लोग वह रिकार्ड तैयार कर रहे है। दोनों सदनों में यह सवाल उठाया गया। क्या हमने उस समय सरकार से यह मांग नहीं की थी कि एक इन्डिपेन्डेन्ट मशीनरी बनायी जाये जो यह तय करे कि किस ज़मीन के ऊपर किसका हक है। उपसभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जानना चाहता हूं कि इसमें विलम्ब क्यों किया गया और क्या इस विलम्ब के लिये बिहार की सरकार जिम्मेदार नहीं है, और क्या यह सही नहीं है कि उस झगड़े को बचाने के लिये लगातार हमारी कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश का प्रशासन कुछ नहीं करता रहा, इस बार उत्तर प्रदेश की पुलिस केवल इसलिये गई है कि वहां पर झगड़ा और भंयकर रूप धारण न कर पाये। कोई कहे बिहार की क्रांतिकारी हुकूमत है और उत्तर प्रदेश की प्रतिक्रियावादी हुकूमत है, इस तरह के प्रादेशिक झगड़े को लाना गलत बात है। यह मामला दोनों प्रदेशों की सीमा से संबंधित है। उमरपुर दियारा में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इस साल बिहार में हो गया दूसरे साल उत्तर प्रदेश में होगा। इस तरह की घटनाएं बलिया में हुई हैं, छोटे पैमाने पर नहीं बड़े पैमाने पर।

मैं सरकार से और गृह मंत्री से एक ही बात जानना चाहता हूं : यह विलम्ब सीमा के अंकन में क्यों किया गया और क्या इस सीमा अंकन में देर के लिये बिहार की सरकार और बिहार के लोग जिम्मेदार हैं कि नहीं और अगर जिम्मेदार है तो क्या सरकार उनको इस बात को कहेगी कि वे अपनी अंड़गेबाजी हटाए। हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा वही बात सही है, वह चाहते है कि त्रिवेदी अवार्ड 24 वर्षो के बाद भी लागू न हो।

श्री सूरज प्रसाद : उपसभापति महोदय, यह झगड़ा उमरपुर दियारा के बटाईदार और जमीदारों के बीच है। वह गलत ढंग से इसको पेश कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ उमरपुर दियारा के हस्तान्तरित नहीं होने के बारे में कहता हूं।

Interruptions

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभापति महोदय, यह सही है कि यह एक पुराना झगड़ा है......

Interruptions

श्री उपसभापति : आर्डर आर्डर । नो इन्ट्रप्शन । सूरज प्रसाद जी आप बैठिये । चन्द्रशेखर जी, मंत्री जी जवाब दे रहे है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं यह कह रहा था कि यह झगड़ा बहुत पुराना है और यह सब के हित में होगा कि यह झगड़ा जल्द से जल्द शांति में हल किया जाय । यह तरीका, यह प्रक्रिया जो एक कठिन काम को हल करने के लिये निकाला गया, यह बात सच है कि इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में हमें बाधा पहुंची । जो पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं पेश की गई उसका कारण मैं यह नहीं कह सकता किसके द्वारा कराई गई लेकिन यह बात सच है कि जब उसका काम करीब-करीब पूरा हो रहा था, जो इस तरह के बाउन्डरी पिलर्स लगा कर सीमा का निर्धारण कर रहे थे, उसके काम में बाधा पहुंची और इस बाधा पहुंचने के कारण झगड़े में और जटिलता बढ़ी झगड़ा ज्यादा बढ़ने लगा, सब के हित में यह होगा कि जल्द से जल्द यह जो बाउन्ड्री कमीशन चल रहा है यह पूरा हो जाय जिससे पता चल जाये कि स्थायी रूप से जमीन उत्तर प्रदेश की है या बिहार की है और उस के बाद यदि उसमें कहीं एक दूसरे के खिलाफ क्लेम्स या काऊन्टर क्लेम्स हों तो उनका निर्णय वहां के रेवेन्यू रिकार्ड को देखकर, कागजात को देखकर, वहां के जो स्थानीय राजस्व के अधिकारी हैं, वह कर सकेंगे ।

इसलिये मैं कहना चाहता हू कि विलम्ब होना बिल्कुल इस तरह का कदम होगा जो कि जनता के लिए हितकर नहीं होगा । इसलिए मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि इस मामले में जरा भी विलम्ब किये बिना त्रिवेदी एवार्ड के मुताबिक जो कानून संसद ने पास किया है उसको लागू करने में सब लोग सरकार को सहयोग देंगे ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): मुख्य सवाल यह है कि न जमीन बिहार की है और न हीं वह उत्तर प्रदेश की है । मुख्य सवाल तो यह है कि उस जमीन को जोतता कौन है, लेकिन माननीय मंत्री जी इस मसले को कन्फ्यूज कर रहे हैं ।

श्री उपसभापति : यह सवाल कई बार पूछ लिया गया है और इसका जवाब भी दिया जा चुका है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि जो मुख्य सवाल है वह यह है कि वहां पर जमीन कौन जोतता है और जो जमीन जोतता है वह जमीन का मालिक है या नहीं । इस मुख्य सवाल को मंत्री जी कंफ्यूज कर रहे हैं । मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इस मसले पर मैं न बिहार के लोगों की मदद करता हू और न ही उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद करता हूं ।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिये ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह ला एन्ड आर्डर को मेनटेन करे । ला एन्ड आर्डर के मामले में दोनों सरकारों के बीच में झगड़ा है, इसलिए केन्द्रीय सरकार को इन्टरवीन करना चाहिये । हमारा ख्याल यह है कि यहां पर मिल्कियत के सवाल को लेकर कि कौन जमीन का मालिक है दोनों राज्यों की सरकार और पुलिस अपने-अपने लोगों की सहायता कर रही है और इसी वजह से ला एन्ड आर्डर का सवाल आ गया है । केन्द्रीय सरकार को इन्टरवीन करके, अपनी पुलिस को वहां पर ले जा करके इस मामले को तय करना चाहिये कि जो जमीन जोतता है वही जमीन का मालिक है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में कोई इंतजाम कर रही है या नहीं । अगर दोनों सरकारें और दोनों सरकारों की पुलिस अपने-अपने यहां के लोगों का पक्षपात करेंगी तो इसके लिये ला एन्ड आर्डर का इंतजाम करना केन्द्रीय सरकार

का कर्तव्य हो जाता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में कोई इंतजाम कर रही है या नहीं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभापति महोदय, इस संबंध में यह कहना चहता हूं कि शायद साही साहब यहां पर मौजूद नहीं थे जब मैं जवाब दे रहा था या उन्होंने मेरे जवाब को अच्छी तरह से समझा नहीं । मैंने कभी यह नहीं कहा कि झगड़ा नहीं है । झगड़ा इस बात का है कि जमीन किस राज्य की है । मैंने शुरू से ही कहा कि वहां पर जोतने वाले और काटने वालों के बीच झगड़ा है, छोटे-छोटे किसान और बड़े-बड़े किसानों के बीच झगड़ा है । परन्तु इस झगड़े को जानते हुए भी इसको निबटाना आवश्यक है और इसके लिये यह जरूरी है कि पहले यह निर्धारित कर दिया जाए कि जमीन कहां आती और जाती है । क्योंकि यह आपको अच्छी तरह से मालूम ही होगा कि एक ही जमीन के दो रिकार्ड हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार एक दूसरा रिकार्ड रखती है और बिहार की सरकार एक दूसरा रिकार्ड रखती है और इस तरह से एक ही जमीन के दो रिकार्ड हैं और अलग-अलग बने हुये हैं । तो इस चीज को सुलझाने के लिये पहले यह आवश्यक है कि हम सीमा का पहले निर्धारण कर दें । अगर सीमा का निर्धारण ठीक से हो जायेगा उसके बाद दूसरे रेवेन्यू रिकार्डस को लेकर, कानून को लेकर वहां के जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं झगड़ों को ठीक से तय कर कर सकते हैं । जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसी बात नहीं है । यह काम तो राज्य शासनों का होता है ।

श्री जी० बरबोरा (आसाम) : जब दोनों प्रान्तों के बीच झगड़ा होता है तो दोनों प्रान्तों की आर्म्ड पुलिस वहां पर तैनात हो जाती है और इसी वजह से लोगों में गल्त फहमी पैदा हो जाती है। आज हम यह देख रहे हैं कि आसाम और नागालैंड की सीमाओं में दोनों प्रान्तों की आर्म्ड पुलिस एक दूसरे का सामना कर रही है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो केन्द्रीय सरकार को अपनी रिजर्व पुलिस वहां पर भेजनी चाहिये और प्रान्तीय सरकारों को निर्देश दिया जाना चाहिये कि जब कभी इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाती है तब वे अपनी अपनी आर्म्ड पुलिस को सीमाओं में न भेजे । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या होम मिनिस्टर इस तरह का कोई निर्देश प्रान्तीय सरकारों को देंगे ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is a suggestion for action only .

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh) : I strongly object to that, Mr. Deputy Chairman.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have only said that it is a suggestion for action. I do not know why you should object.

SHRI GODEY MURAHARI : You should not have said that. I strongly object.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I did not ask the hon'ble Minister not to reply. I only said it is a suggestion for action.

SHRI GODEY MURAHARI : You should not say that when he is standing up to reply.

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभापति महोदय उन्होंने जो प्रस्ताव पूछा है वह इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित नहीं है । वे नागालैंड और आसाम के संबंध में कह रहे हैं और इसके लिए उन्हें दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देना चाहिए और उसको बाद ही मैं बतला सकता हूं ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

FIRST ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1967-68) OF THE MACHINE TOOL CORPORATION OF INDIA LIMITED, AJMER AND RELATED PAPERS.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (CHOWDHARY RAM SEWAK) : Sir, on behalf of Shri Farkhruddin Ali Ahmed,